तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज डालुराम बनाम लैण्ड होल्डर वगैरह
17/02/25	पत्रावली पेश हुई, पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर है। पूर्वानुसार 11/3/25 को पेश हो।
11/3/25	पत्रावली पेश हुई, पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर है। पूर्वानुसार 9/4/25 को पेश हो।
9/4/25	पत्रावली पेश हुई अभि० प्रार्थी उपस्थित अभि० प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 21/4/25 को पेश हो।
21/04/2025	पत्रावली पेश हुई। अभि० प्रार्थी उपस्थित। पूर्वानुसार पत्रावली दिनांक 23/04/2025 को पेश हो।
23/04/2025	पत्रावली पेश हुई। अभि० प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली फैसल शुमार हो नंबर से कम होकर बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी:– सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांक:– 33/2023

1. डालुराम
2. समन्दरसिंह
3. मानसिंह
4. ननगा
5. बहादुरसिंह पुत्र ग्यासी जाति गुर्जर निवासी खरैरा तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

..................प्रार्थीगण

बनाम

1. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील उच्चैन जिला भरतपुर राज0

.... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,129 एल.आर.ए.

उपस्थिति

1.श्री सचिन शर्मा एडवोकेट

निर्णय **दिनांक:–23.04.2025**

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128,129 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 711,721 बाके ग्राम खरैरा तहसील उच्चैन जिला भरतपुर राज में स्थित है जिसके प्रार्थीगण सम्पूर्ण के खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है। प्रार्थीगण ने अपनी उक्त आराजी की पैमाइश हेतु तहसीलदार उच्चैन को दिनांक 26.04.2022 को प्रार्थना पत्र पेश किया है लेकिन अभी तक विधी सम्मत कभी पैमाइश नहीं हो सकी है जिसके कारण प्रार्थी अपनी उक्त आराजी की सीमाबन्दी नहीं कर पा रहा है। आराजी की सीमाबन्दी नहीं होने के कारण प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर सही प्रकार से काबिज होकर काश्त नहीं ले पा रहा है इसके लिये आराजी की पत्थर गढी कराया जाना आवश्यक हो गया है। खसरा नम्बर 711,721 बाके ग्राम खरैरा तहसील उच्चैन की चारों दिशाओं का सीमाज्ञान कराया जाकर पत्थरगढी कराये जाने के आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया है।

Bharti

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी लैण्ड होल्डर तहसीलदार उच्चैन के द्वारा जवाव पेश कर निवेदन किया है कि खसरा नम्वर 711 रकवा 0.02है0 किस्म गै.मु.चाह ग्यारी हि. 1/3 सम्पत हि. 1/3 पि. गिर्राज, विजयसिंह हि. 1/6 शेरसिंह हि. 1/6 पि. नवल जाति गुर्जर के नाम दर्ज रिकार्ड है। जवकि खसरा नम्वर 709 रकवा 0.50 किस्म चाही तृतीय डालुराम, नानगा, वहादुर, समन्दर, मानसिंह पि. ग्यासी जाति गुर्जर वहिव. के नाम दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्वर 711/0.02है0 किस्म गै.मु.चाह सहखातेदारों की सहमति नहीं है एवं खसरा नम्वर 709 में मकान आदि वने हुये है ऐसी स्थिति में सीमाज्ञान संभंव नहीं है।

मेरे द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की वहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया एवं खसरा नम्वर 711,709 का सीमाज्ञान कराया जाकर पत्थरगढी प्रार्थी के खर्चे पर करवाये जाने का निवेदन किया।

मेरे द्वारा विद्वान अधिवक्ता की वहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड एवं जवाव तहसीलदार उच्चैन का अवलोकन किया गया। तहसीलदार उच्चैन द्वारा पेश जवाव से स्पष्ट है कि खसरा नम्वर 711 में सीमाज्ञान हेतु सहखातेदारों की सहमति नहीं है। जवकि खसरा नम्वर 709 में मकान आदि वना होना अवगत कराया है। ऐसी स्थिति में सीमाज्ञान कराया जाना सम्भव नहीं है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है:—

प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 23.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

GBharti

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर